

ओ.बी.सी. (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)

आवेदन पत्र संख्या

सेवा में,

.....
.....

महोदय,

मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण-पत्र देने की कृपा की जाय ।

मेरे बारे में आवश्यक जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :-
2. जन्म तिथि :-
3. आवासीय पता :- (पूर्ण)

(क) स्थाई - ग्राम/मुहल्ला :-
थाना :-
वार्ड नं० :-

पोस्ट :-

प्रखण्ड :-

सर्किल नं० :-

जिला :-

हो० नं० :-

(ख) अस्थायी- ग्राम/मुहल्ला :-
थाना :-
वार्ड नं० :-

पोस्ट :-

प्रखण्ड :-

सर्किल नं० :-

जिला :-

हो० नं० :-

4. धर्म :
5. जाति :-
6. उप-जाति :-
7. पेशा :-
8. केन्द्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक सं० :-
9. पिता का नाम एवं जाति :-
10. माता का नाम :-
11. पति का नाम :-

- | | | | |
|--------------------------------|------|------|-----|
| 12. अभिभावक/पिता/पति/की स्थिति | पिता | माता | पति |
|--------------------------------|------|------|-----|

(क) (1) संवैधानिक पद

(2) पदनाम :-

(i) सरकारी सेवा (केन्द्र/राज्य)

(ii) पदनाम :-

(ii) वेतनमान :-

(iv) नियुक्ति की तिथि :-

(v) उच्च प्रथम श्रेणी में प्रोन्नति के समय (अगर लागू हो) :-

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सेवा में नियोजित

जैसे- सूनिसेफ/यू०एन०/डब्लू०एच०ओ०

(1) संगठन का नाम :-

(2) पदनाम :-

(3) सेवा का समय तिथि से तक ।

(ग) निजी क्षेत्र में नियोजित के लिए :-

- (1) संगठन/फर्म का नाम :-
- (2) पदनाम :-
- (3) नियुक्ति की तिथि :-

(घ) आर्म्स फोर्स/पारा मिलिट्री के लिए :-

- (1) पदनाम :-
- (2) वेतनमान :-

(ड) व्यवसायों के लिए :-

पिता

माता

पत्नी

- (1) पेशा :-

(च) सम्पत्ति का विवरण

पिता/माता/अवयस्क बच्चों के नाम :-

- (1) पता :-
- (2) क्षेत्रफल :-
- (3) (क) असिंचित :-
(ख) सिंचित :-
- (4) सिंचित जमीन का प्रतिशत :-
(बिहार सरकार के सिलिंग कानून के अन्तर्गत)
(विवरण अंचलाधिकारी से सत्यापित होना चाहिए)
- (5) कल सिंचित/असिंचित जमीन :-

(छ) प्लांटेशन :-

- (1) फसल/फल :-
- (2) पता :-
- (3) क्षेत्रफल :-

(ज) परती जमीन/भवन (शहरी क्षेत्र के लिए)

- (1) सम्पत्ति का स्थान :-
- (2) सम्पत्ति का विवरण :-
- (3) सम्पत्ति का क्या इस्तेमाल होता है :-

(झ) आय :-

- (1) वार्षिक आय (नौकरी, पेंशन, व्यवसाय या कृषि से आय)
- (2) क्या कर भुगतान करते हैं ?
(अगर हाँ तो तीन वर्षों का रिटर्न का प्रति प्रस्तुत करें)
- (3) क्या सम्पत्ति कर के अन्तर्गत हैं ?
(अगर हाँ तो पूर्ण विवरण दें)

(ट) कुछ अन्य बातें :-

प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरण मेरा जानकारी में सत्य हैं और पूर्ण विश्वास है कि मैं क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं हूँ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम हूँ। अगर कोई सूचना गलत पायी गयी तो मेरा नियोजन रद्द किया जा सकता है या कानून के नियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर

फार्म-VIII

स्वयं शपथ-पत्र

ओ० बी० सी० (क्रीमीलेयर रहित) प्रमाण-पत्र हेतु (भारत सरकार के प्रयोजनार्थ)

मैं.....

पुत्र/पुत्री.....

माता का नाम.....

गाँव/मोहल्ला.....पोस्ट ऑफिस.....

थाना.....प्रखण्ड.....

अनुमण्डल.....जिला.....राज्य.....

ने ओ०बी०सी० हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा शपथ लेता/लेती हूँ कि :-

1. मैं.....जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो बिहार हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है।
2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप ए/क्लास-1 के पद अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है।
3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से कोई/कोई एक भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं है।
4. मेरे माता/पिता को वेतन से वार्षिक आय रु०..... (शब्दों में) है।
5. मेरे माता/पिता की अन्य आय स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु०..... (शब्दों में) है।
6. मैं ओ०बी०सी० प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बन्धी सरकार द्वारा संगत आदेश में परिभाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के आधार पर मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

तथा नाम

(फार्म-XVIII B)

अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र (आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र)

मैं.....

पुत्र/पुत्री श्री.....

निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर.....

पोस्ट.....

थाना.....

प्रखण्ड.....

जिला.....

राज्य.....

एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं.....

.....समुदाय का/की हूँ, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन
मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक - 08.
09.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-360112/22/93 - स्वा० (एस०सी०टी०) में
विहित आदेश के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार / बिहार
सरकार द्वारा क्रमशः ओ० बी०सी०/पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य
है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993, एव 19.3.09.2017
के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची में कॉलम-3 में उल्लेखनीय
व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ।